न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 156 / 2024
सोनो (चरकापत्थर) थाना कांड संख्या :– 198 / 2020
सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-001858-2024
बिहार सरकार बनाम हरि यादव एवं अन्य

फार्म–ए

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, जमुई **प्रस्तुतः– श्री अमित कुमार** **जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, जमुई** **निर्णय की तिथिः– 17.06.2026** **सत्र वाद संख्या :– 156 / 202024** सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-001858-2024 सोनो थाना कांड संख्या :– 198 / 2020 धाराः– 147, 148, 323 / 149, 307 / 149, 504 / 149 एवं 506 / 149 भा0द0वि0	
परिवादी / सूचक	बिहार सरकार द्वारा सूचक तुफानी यादव, पिता– स्व0 भुनेश्वर यादव, ग्राम– अरवरिया, थाना–चरकापत्थर, जिला–जमुई।
अभियोजन की ओर से	श्री संजीव कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	**1:– हरि यादव**, उम्र करीब 50 वर्ष, पिता– दामोदर यादव। **2:– तारणी यादव**, उम्र करीब 40 वर्ष, पिता– दामोदर यादव। **3:– महेन्द्र यादव**, उम्र करीब 55 वर्ष, पिता– दामोदर यादव। **4:– दिनेश यादव**, उम्र करीब 30 वर्ष, पिता– कामदेव यादव। **5:– महेन्द्र यादव उर्फ महेश यादव उर्फ महेश कुमार**, उम्र करीब 30 वर्ष, पिता– कामदेव यादव। **6:– कामदेव यादव**, उम्र करीब 60 वर्ष, पिता– स्वरूप यादव। **7:– धीरेन्द्र यादव उर्फ धीरेन्द्र कुमार**, उम्र करीब 27 वर्ष, पिता– हरि यादव। **8:– नरेन्द्र यादव**, उम्र करीब 37 वर्ष, पिता– दामोदर यादव। **9:– राहुल यादव उर्फ राहुल कुमार**, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता– हरि यादव। **10:– ब्रह्मदेव यादव**, उम्र करीब 4 वर्ष, पिता– झारी यादव। **11:– राजेश यादव उर्फ राजेश कुमार**, उम्र करीब 31 वर्ष, पिता– झारी यादव। सभी साकिनः– नैयाडीह, थानाः– चरकापत्थर, जिलाः– जमुई।
बचाव पक्ष की ओर से	श्री सज्जन कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 156 / 2024
सोनो थाना कांड संख्या :– 198 / 2020
सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-001858-2024
बिहार सरकार बनाम हरि यादव एवं अन्य
उपस्थित– श्री अमित कुमार
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्, जमुई
निर्णय की तिथिः– 17.06.2026

फार्म–बी

अपराध की तिथि	02.08.2020
प्राथमिकी की तिथि	05.08.2023
आरोप गठन की तिथि	07.05.2024
साक्ष्य बंद होने की तिथि	27.05.2026
निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	15.06.2026
निर्णय की तिथि	17.06.2026
सजा की तिथि	N.A

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त नामित अभियुक्त 1. हरि यादव, 2. तारणी यादव, 3. महेन्द्र यादव, 4. दिनेश यादव, 5. महेन्द्र उर्फ महेश यादव, 6. कामदेव यादव, 7. धीरेन्द्र यादव, 8. नरेन्द्र यादव, 9. राहुल यादव, 10. ब्रह्मदेव यादव एवं 11. राजेश यादव के विरूद्व धारा 147, 148, 323 / 149, 307 / 149, 504 / 149 एवं 506 / 149 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठन का विचारण किया गया हैं।

2. यह काण्ड सूचक तुफानी यादव के लिखित आवदेन के आधार पर थाना सोनो (चरकापत्थर) में प्राथमिकी संख्या 198 / 20 दिनांक 05.08.2020 को धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 504 एवं 506 भा0द0वि के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज हुआ तथा अन्वेषण उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप–पत्र संख्या– 37 / 2021, धारा 147, 149, 341, 323, 337, 504 एवं 506 भा0द0वि के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया गया। इस मामले में विद्वान जे0एम, प्रथम श्रेणी, जमुई ने आरोप–पत्र में अंकित अभियुक्त 1. हरि यादव, 2. तारणी यादव, 3. महेन्द्र यादव, 4. दिनेश यादव, 5. महेन्द्र उर्फ महेश यादव, 6. कामदेव यादव, 7. धीरेन्द्र यादव, 8. नरेन्द्र यादव, 9. राहुल यादव, 10. ब्रह्मदेव यादव एवं 11. राजेश यादव के विरूद्व भा0द0वि की धारा 147, 149, 341, 323, 307, 337, 504 एवं 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए मामले में दिनांक 20.03.2023 को संज्ञान लिया तथा उपरोक्त अभियुक्त का मामला विचार हेतु सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया।

3. अभियोजन की केस फर्दब्यान के आधार पर संक्षेप में यह हैं कि धीरेन्द्र यासदव, हरि यादव, नरेन्द्र यादव, तारणी यादव, महेन्द्र यादव, राहुल यादव, बह्मदेव यादव, राजेश यादव, दिनेश यादव, महेश यादव, मुकेश यादव, कामदेव यादव, मीना देवी (पति हरि यादव), मीता देवी, रिंकु देवी, पूजा कुमारी, बेबी देवी, मीना देवी (पति कामदेव यादव), भुनेश्वरी देवी, गीता देवी, सभी जान मारने के नियत से थ्रिनट के वैटस से, कुल्हाड़ी, लाठी, तलवार, पत्थर इत्यादि से सूचक तुफानी यादव और सूचक के दो भाई क्रमशः डोमन यादव एवं प्रदीप यादव को बुरी तरह से घायल कर दिया। सिर में गहड़ा और भारी जख्म हुआ हैं। सूचक ने अपने लिखित आवेदन में आगे बताया कि अभियुक्तगण इन सभी तीन भाईयों सदा के लिए अंत

करना चाहता था। ग्रामीणों के जुटने पर जान बचा। सूचक की बेटी और पत्नी को भी चोट हैं। सूचक के पास मारपीट का विडियों मोबाईल में हैं।

4. यह काण्ड तुफानी यादव द्वारा दिनांक 05.08.2020 को थाना में दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर थानाध्यक्ष सोनो (चरकापत्थर) को काण्ड दर्ज करने हेतु अग्रसारित किया गया, जिसके आधार पर सोनो (चरकापत्थर) थाना काण्ड संख्या 198 / 20 दिनांक 05. 08.2020 धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 504 एवं 506 भा0द0वि के अंतर्गत दर्ज किया गया और पु0अ0नि0 अरूण राय, को अनुसंधानकर्ता के रूप में अनुसंधान करने का भार सौंपा गया।

5. अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों का ब्यान के पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 147, 149, 341, 323, 337, 504 एवं 506 भा0द0वि के अंतर्गत आरोप–पत्र संख्या 37 / 2021 दिनांक 29.01.2021 को समर्पित किया गया। तद्नुसार भा0द0वि की धारा 147, 149, 341, 323, 307, 337, 504 एवं 506 के अंतर्गत में अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपों का संज्ञान दिनांक 20.03.2023 को लिया गया और वाद को सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारण किये जाने योग्य पाकर वाद को सत्र न्यायालय में दौरा सुपूर्द कर दिया गया।

6. यह कि दौरा सुपूर्दगी के बाद यह वाद इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु दिनांक 02.04.2024 को प्राप्त हुआ।

7. यह कि विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्व धारा 147, 148, 323 / 149, 307 / 149, 504 / 149 एवं 506 / 149 भा0द0वि के अन्तर्गत आरोप का गठन दिनांक 07.05. 2024 को किया गया, जिसे पढ़कर अभियुक्तगण को हिन्दी में सुनाया गया और अभियुक्तगण ने श्रवणोपरांत अपराधों को स्वीकार नहीं किया और वे अपने को निर्दोष बताते हुए विचारण का दावा किया।

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद दिनांक 27.05.2026 को अभियुक्तगण का द0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत कथन लिपिबद्व किया गया अपने धारा 313 द0प्र0सं0 के कथन में अभियुक्त स्वयं का निर्दोष बताये तथा इस केस में झूठा फंसाये जाने का कथन किया हैं।

9. अब इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैं कि क्या अभियोजन आरोपित अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोपो को युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल हो सका हैं?

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्ष्य

(क) अभियोजन मौखिक साक्ष्यः–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)

पी.डब्लू–1	निभा कुमारी	अन्य साक्ष्य
पी.डब्लू–2	डोमन यादव	अन्य साक्ष्य
पी.डब्लू–3	प्रदीप यादव	अन्य साक्ष्य
पी.डब्लू–4	तुफानी यादव	सूचक
पी.डब्लू–5	चंद्रिका यादव	अन्य साक्ष्य

(ख) विपक्षी मौखिक साक्ष्यः–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
नहीं	नहीं	नहीं

(क) अभियोजन प्रदर्शः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

(ख) बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्शः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

(ग) न्यायालय प्रदर्शः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

(घ) वस्तु प्रदर्शः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

10. अभियोजन के ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षियों में अभियोजन साक्षी संख्या 01 निभा कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि घटना 3 साल पहले की हैं, समय सुबह 10 बजे का था। मैं घटनास्थल पर थोड़ी देर बाद गई थीं। घटना में मारपीट हुआ था मैं नहीं देखी थीं। मुझकों भी कंधा पर चोट लगी थीं। पहले ईलाज सोनो में हुआ था फिर जमुई में हुआ था।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि दोनों पक्षों में मारपीट हुआ उसमें मैं गिर गई थीं। किसी को मारते हुए नहीं देखा था। दोनों पक्ष एक ही परिवार का हैं।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 2 डोमन यादव अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि घटना आज से करीब चार साल पूर्व सुबह करीब 9 बजे की हैं। बच्चा–बच्चा को लेकर झगड़ा हुआ था। महेन्द्र यादव, हरि यादव, तारणी यादव, नरेन्द्र यादव, धीरेन्द्र यादव, कामदेव यादव, ब्रह्मदेव यादव, राजेश यादव, राहुल कुमार, महेश यादव वगैरह आकर मेरे एवं तुफानी यादव के साथ बकझक करने लगें। धक्का–मुक्की के क्रम में तुफानी यादव के कान में चोट लगा तथा मुझें सिर पर चोट लगा था। तुफानी यादव का ईलाज गांव में हुआ था। मेरा ईलाज सदर अस्पताल जमुई में हुआ था।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि दोनों पक्षों के मध्य धक्का–मुक्की होने के कारण गिर गए तथा इस कारण से चोट लगीं। किसी ने किसी के साथ मारपीट नहीं किया। धक्का–मुक्की में गिर जाने के कारण हल्का–फुल्का चोट लगा। उभयपक्ष का ताल्लुक एक ही परिवार से हैं। दोनों पक्षों के तरफ से मुकदमा हुआ था। दोनों पक्षों के मुकदमा में मेल–मिलाप हो गया हैं। अभियुक्तगण एक–एक कर आये और एक–एक कर चले गए। अभियुक्त महेन्द्र यादव मेरे परिवार के हैं इसलिए पहचानता हूं।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 3 प्रदीप यादव अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि घटना आज से चार साल पहले की हैं। समय करीब सुबह दस बजे की हैं। उस समय घर पर था। हल्ला सुनकर मैं घटनास्थल पर गया था। जमीन विवाद को लेकर दोनों तरफ से धक्का मुक्की हो रहा था। धक्का मुक्का में मुझें माथा में चोट लगा था। मैंने अपना ईलाज सोनो रेफरल अस्पताल में कराया था उसके बाद सदर अस्पताल जमुई रेफर कर दिया। जहां एक–दो दिन मेरा ईलाज चला था।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि धक्का मुक्की में मैं गिर गया तो मुझें चोट लगी थीं। कौन किसको धक्का मारा नहीं कह सकते हैं। मुदालय लोग एक–एक करके आये और एक–एक करके चले गये। इस घटना को लेकर दोनों तरफ से केस हुआ था। दोनों पक्षों के बीच मेल–मिलाप हो गया हैं। अभियुक्त महेन्द्र यादव मेरा अपना चचेरा भाई हैं।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 4 तुफानी यादव सूचक अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि यह केस मैंने किया हैं। यह केस गिरजा देवी, महेंद्र यादव, हरि यादव, तालो यादव, नरेंद्र यादव, धीरेंद्र यादव, ब्रह्मदेव यादव, राहुल यादव, कामदेव यादव, महेश यादव, दिनेश यादव, कुल मिलाकर 11 अभियुक्तों पर किया हैं। यह घटना 4 वर्ष की हैं समय 8 बजे दिन की हैं। जमीन के आड़ लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें ये लोग लाठी, पैना, ईटा, पत्थर से मारपीट किया जिससे मेरे पैर पर चोट लगा गया। मेरे भाई प्रदीप यादव का माथा फट गया। हमलोगों का ईलाज सोनो अस्पताल में किया गया फिर मेरे भाई प्रदीप को सदर अस्पताल जमुई रेफर कर दिया गया जहां मेरे भाई का ईलाज हुआ। मैंने थाना में अपना ब्यान दिया था जिसपर मैंने अपना अंगूठे का निशान लगाया।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि थाने में आवेदन पुलिस ने लिखा था और क्या लिखा था मुझें पढ़कर नहीं सुनाया सिर्फ मेरा अंगूठे का निशान लिया गया था। मुदालय लोग एक–एक करके आए और एक–एक करके चले गए। धक्का–मुक्की दोनों तरफ से हुआ उसी धक्का–मुक्की में मैं और मेरा भाई गिर गए जिसके कारण हमलोगों को चोट आई। हमलोगों के साथ किसी ने मारपीट नही किया। भीड़ में किसने धक्का–मुक्की और गाली–गलौज किया मैं नहीं बता सकता हूं। मुकदमा दोनो तरफ से हुआ

तथा दोनों में मेल हो गया। मेल होने की वजह से मैं मुकदमा लड़ना नहीं चाहता हूं। मुदई और मुदालय दोनों एक ही परिवार के हैं अब किसी भी तरह का विवाद नहीं हैं।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 5 चंद्रिका यादव अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। पुलिस में मेरा ब्यान नहीं हुआ था। अभियोजन के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और राज्य की ओर से प्रतिपरीक्षण करने के बावजूद अभियोजन पक्ष के पक्ष में कोई ठोस सबुत पेश नहीं किया जा सका।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि महेन्द्र यादव को ग्रामीण होने के नाते पहचानता हूं।

मंतव्य (Findings)

15. उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण के पश्चात् न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या अभियोजन, अभियुक्त 1. हरि यादव, 2. तारणी यादव, 3. महेन्द्र यादव, 4. दिनेश यादव, 5. महेन्द्र उर्फ महेश यादव, 6. कामदेव यादव, 7. धीरेन्द्र यादव, 8. नरेन्द्र यादव, 9. राहुल यादव, 10. ब्रह्मदेव यादव एवं 11. राजेश यादव के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल हो सका हैं या नहीं? उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट होता हैं कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 323 307, 504एवं 506 के अंतर्गत अरोप गठित किया गया था।

16. अभिलेख साक्ष्य के समीक्षोपरांत यह तथ्य उभरकर आता हैं कि अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या 5 चंद्रिका यादव को पक्षद्रोही घोषित किया गया हैं। स्वयं सूचक पी0डब्लू–4 ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हैं कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण ने उनके साथ मारपीट नहीं की थीं तथा भागने के क्रम में गिरने से चोट लग गई। सूचक ने यह भी कहा कि अभियुक्तगण बेकसूर हैं तथा पुलिस के समक्ष भी मारपीट किए जाने की बात नहीं कही थीं। इसी प्रकार पी0डब्लू0–3 प्रदीप यादव ने भी प्रति–परीक्षण में कहा हैं कि अभियुक्तगण ने उनके साथ मारपीट नहीं किए थें तथा दोनों पक्षों के मध्य जगह–जमीन का बंटवारा हो चुका हैं। अन्य साक्षियों के ब्यानों में भी पारस्परिक विरोधाभास एवं कथन से असंगति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं।

17. धारा 323 भा0दं0सं0 के अंतर्गत स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित किया जाना सिद्ध करना अनिवार्य हैं, परंतु स्वयं सूचक एवं अन्य साक्षियों ने मारपीट से इनकार कर दिया हैं, अतः इस धारा के अंतर्गत आरोप को साक्ष्य से अभियोजन द्वारा सिद्ध करने में असफल रहा हैं। इसी प्रकार धारा 504 एवं 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत क्रमशः शांति भग हेतु जानबूझकर अपमान एवं आपराधिक अभित्रास का तथ्य भी अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि अभियोजन के स्वयं के साक्षियों ने आरोपों का खंडन किया हैं।

18. धारा 307 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषसिद्धि हेतु हत्या का आशय (mens rea) एवं तदनुरूप कृत्य (actus reus) सिद्ध करना अनिवार्य हैं, प्ररंतु प्रस्तुत वाद में न तो आशय सिद्ध होता हैं और न ही ऐसा कोई कृत्य प्रमाणित होता हैं, क्योंकि स्वयं सूचक ने मारपीट से इनकार कर दिया हैं।

19. धारा 147 एवं 148 भा0दं0सं0 (ब्लवा) के आरोप के संबंध में यह आवश्यक हैं कि पांच या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्धेश्य से बल या हिंसा का प्रयोग प्रमाणित हो, परंतु साक्ष्यों में परस्पर विरोधाभासी कथन हैं। धारा 149 भा0दं0सं0 के अंतर्गत सामान्य उद्धेश्य (Common Object) का तथ्य भी साक्ष्य के आभाव में सिद्ध नहीं होता।

20. विधिक का सुस्थापित सिद्धांत हैं कि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होता हैं तथा इस उत्तरदायित्व–भार को निभाने में किसी प्रकार की संदेह का लाभ अभियुक्तगण को मिलना चाहिए। प्रस्तुत वाद में अभियोजन ने स्वयं के साक्षियों ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों का खंडन किया हैं, जिसके फलस्वरूप धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504 एवं 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत किसी भी आरोप के संबंध में अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं।

आदेश

अतः अभियुक्त, 1. हरि यादव, 2. तारणी यादव, 3. महेन्द्र यादव, 4. दिनेश यादव, 5. महेन्द्र उर्फ महेश यादव, 6. कामदेव यादव, 7. धीरेन्द्र यादव, 8. नरेन्द्र यादव, 9. राहुल यादव, 10. ब्रह्मदेव यादव एवं 11. राजेश यादव को धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307, 504 एवं 506 में साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता हैं।

1. कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि निर्णय / वाद अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करने से पूर्व सी0आई0एस0 में अद्यतन करें।

2. कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि सभी तरह के अधिपत्र को जिन्हें निर्गत किया गया था और जिसे निष्पादित नहीं किया गया था, उसे संबंधित थाना में अविलंब वापस करा ले।

3. कार्यालय लिपिक अभिलेख को अभिलेखागार में नियमानुसार जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित एवं संशोधित
कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित

(अमित कुमार)
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक 17.06.2026

(अमित कुमार)
जिला सत्र न्यायाधीश–पंचम्,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक 17.06.2026

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 156 / 2024
सोनो थाना कांड संख्या :– 198 / 2020
सी0एन0आर (CNR) :– **BRJA01-001858-2024**
बिहार सरकार बनाम हरि यादव एवं अन्य
उपस्थित– श्री अमित कुमार
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्, जमुई
निर्णय की तिथिः– 17.06.2026

अभियुक्त / अभियुक्तगण की विवरणी

अभियुक्त का क्रम संख्या	अभियुक्त / अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार होने की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोप की धारा	विमुक्त / सजा	अधिरोपित सजा	426 द.प्र.सं. के लिए विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में बिताया गया समय
1.	हरि यादव	05.03.2024	05.03.2024	धाराः– 147, 148, 323 / 149, 307 / 149, 504 / 149 एवं 506 / 149 भा0द0वि0	विमुक्त	–	0 दिन
2.	तारणी यादव	05.03.2024	05.03.2024	,,	विमुक्त	–	0 दिन
3.	महेन्द्र यादव	05.03.2024	05.03.2024	,,	विमुक्त	–	0 दिन
4.	दिनेश यादव	05.03.2024	05.03.2024	,,	विमुक्त	–	0 दिन
5.	महेन्द्र उर्फ महेश यादव	05.03.2024	05.03.2024	,,	विमुक्त	–	0 दिन
6.	कामदेव यादव	05.03.2024	05.03.2024	,,	विमुक्त	–	0 दिन
7.	धीरेन्द्र यादव	05.03.2024	05.03.2024	,,	विमुक्त	–	0 दिन
8.	नरेंद्र यादव	05.03.2024	05.03.2024	,,	विमुक्त	–	0 दिन
9.	राहुल यादव	05.03.2024	05.03.2024	,,	विमुक्त	–	0 दिन
10.	ब्रह्मदेव यादव	05.03.2024	05.03.2024	,,	विमुक्त	–	0 दिन
11.	राजेश यादव	05.03.2024	05.03.2024	,,	विमुक्त	–	0 दिन

अभियोजन मौखिक साक्ष्यः–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
पी.डब्लू–1	निभा कुमारी	अन्य साक्ष्य
पी.डब्लू–2	डोमन यादव	अन्य साक्ष्य
पी.डब्लू–3	प्रदीप यादव	अन्य साक्ष्य
पी.डब्लू–4	तुफानी यादव	सूचक
पी.डब्लू–5	चंद्रिका यादव	अन्य साक्ष्य

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 156 / 2024
सोनो थाना कांड संख्या :– 198 / 2020
सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-001858-2024
बिहार सरकार बनाम हरि यादव एवं अन्य
उपस्थित– श्री अमित कुमार
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्, जमुई
निर्णय की तिथिः– 17.06.2026

विपक्षी मौखिक साक्ष्यः–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
नहीं	नहीं	नहीं

अभियोजन प्रदर्शः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

(अमित कुमार)
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक 17.06.2026

निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	15.06.2026
निर्णय की तिथि	17.06.2026
निर्णय अपलोड करने की तिथि	17.06.2026
निर्णय अपलोडकर्ता	कोर्ट रीडर सह डिपोजिशन राईटर